

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 37
अप्रत्यक्ष कर

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	33080.47	1577.33	34657.80	38859.86	2238.62	41098.48	38379.78	2372.39	40752.17	40904.73	1984.60	42889.33	
वसूलियां	-12.80	-0.12	-12.92	-0.50	...	-0.50	-0.50	...	-0.50	-0.50	...	-0.50	
प्राप्तियां	
निवल	33067.67	1577.21	34644.88	38859.36	2238.62	41097.98	38379.28	2372.39	40751.67	40904.23	1984.60	42888.83	
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सीमा शुल्क													
1.01	सीमा शुल्क का संग्रहण	2629.15	...	2629.15	2803.54	...	2803.54	2972.33	...	2972.33	3183.96	...	3183.96
1.02	सीमा शुल्क का स्थापना खर्च	...	61.80	61.80	...	285.30	285.30	...	253.85	253.85	...	83.88	83.88
जोड़- सीमा शुल्क		2629.15	61.80	2690.95	2803.54	285.30	3088.84	2972.33	253.85	3226.18	3183.96	83.88	3267.84
2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क /केंद्रीय माल और सेवा कर													
2.01	केंद्रीय उत्पाद शुल्क / केंद्रीय माल और सेवा कर का संग्रहण	5124.32	...	5124.32	5273.81	...	5273.81	5660.85	...	5660.85	6004.91	...	6004.91
2.02	उत्पाद शुल्क /केंद्रीय माल और सेवा कर का स्थापना खर्च	758.47	...	758.47	824.77	...	824.77	845.61	...	845.61	865.61	...	865.61
2.03	आवास - रख-रखाव और मरम्मत	11.20	...	11.20	17.00	...	17.00	17.00	...	17.00	15.00	...	15.00
2.04	बने बनाए मकानों की खरीद-कार्यालय भवन	...	525.31	525.31	...	501.98	501.98	...	545.59	545.59	...	476.57	476.57
2.05	बने बनाए मकानों की खरीद-आवासीय भवन	...	246.59	246.59	...	393.99	393.99	...	250.00	250.00	...	296.68	296.68
2.06	सीजीएसटी का स्थापना व्यय	...	743.63	743.63	...	1057.35	1057.35	...	1322.95	1322.95	...	1127.47	1127.47
जोड़- केंद्रीय उत्पाद शुल्क /केंद्रीय माल और सेवा कर		5893.99	1515.53	7409.52	6115.58	1953.32	8068.90	6523.46	2118.54	8642.00	6885.52	1900.72	8786.24
3. वास्तविक वसूलियां													
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय		8510.34	1577.21	10087.55	8918.62	2238.62	11157.24	9495.29	2372.39	11867.68	10068.98	1984.60	12053.58
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं													
4. बकायों का एकमुश्त भुगतान													
4.01	भारत से व्यापारिक निर्यात योजना (एमईआईएस)	123.55	...	123.55	799.32	...	799.32	287.76	...	287.76	431.63	...	431.63
4.02	भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस)	1252.93	...	1252.93	1901.00	...	1901.00	684.36	...	684.36	1026.54	...	1026.54
4.03	राज्य और केन्द्रीय करों और उगाहियों पर छूट	18.98	...	18.98	63.76	...	63.76	19.13	...	19.13	44.63	...	44.63

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
(आरओएससीटीएल)												
4.04 लक्ष्य युक्त योजना	37.27	...	37.27	660.91	...	660.91	66.09	...	66.09	594.82	...	594.82
4.05 फोकस प्रोडक्ट स्कीम और मार्किट लिंकड प्रोडक्ट स्कीम	19.31	...	19.31	271.53	...	271.53	65.17	...	65.17	43.44	...	43.44
4.06 स्टेटस होल्डर्स प्रोत्साहन योजना (एसएचआईएस)	14.23	...	14.23	119.41	...	119.41	14.33	...	14.33	9.55	...	9.55
4.07 राज्य उगाहियों पर छूट संबंधी योजना (आरओएससीटीएल)	47.59	...	47.59	4.76	...	4.76	42.83	...	42.83
4.08 फोकस बाजार योजना	10.79	...	10.79	80.90	...	80.90	19.42	...	19.42	12.94	...	12.94
4.09 विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना	0.22	...	0.22	65.26	...	65.26	7.83	...	7.83	5.22	...	5.22
4.10 मोबाइल फोन के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त तदर्थ बोनस प्रोत्साहन	2.13	...	2.13	2.13	...	2.13
4.11 वृद्धि संबंधी निर्यात प्रोत्साहन योजना (वार्षिक एवं तिमाही)	27.85	...	27.85	107.93	...	107.93	516.01	...	516.01	221.15	...	221.15
<i>जोड़- बकायों का एकमुश्त भुगतान</i>	<i>1505.13</i>	<i>...</i>	<i>1505.13</i>	<i>4119.74</i>	<i>...</i>	<i>4119.74</i>	<i>1686.99</i>	<i>...</i>	<i>1686.99</i>	<i>2432.75</i>	<i>...</i>	<i>2432.75</i>
5. निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट (आरओडीटीईपी)	15018.81	...	15018.81	16575.00	...	16575.00	17951.00	...	17951.00	18232.50	...	18232.50
6. राज्य और केन्द्रीय करों और उगाही पर छूट (आरओएससीटीएल)	8033.39	...	8033.39	9246.00	...	9246.00	9246.00	...	9246.00	10170.00	...	10170.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	24557.33	...	24557.33	29940.74	...	29940.74	28883.99	...	28883.99	30835.25	...	30835.25
कुल जोड़	33067.67	1577.21	34644.88	38859.36	2238.62	41097.98	38379.28	2372.39	40751.67	40904.23	1984.60	42888.83
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सीमा शुल्क	27180.71	...	27180.71	32743.78	...	32743.78	31855.82	...	31855.82	34018.71	...	34018.71
2. केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर एवं एकीकृत वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	5875.80	...	5875.80	6098.58	...	6098.58	6506.46	...	6506.46	6870.52	...	6870.52
3. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	805.31	805.31	...	1342.65	1342.65	...	1576.80	1576.80	...	1211.35	1211.35
4. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	525.31	525.31	...	501.98	501.98	...	545.59	545.59	...	476.57	476.57
जोड़-सामान्य सेवाएं	33056.51	1330.62	34387.13	38842.36	1844.63	40686.99	38362.28	2122.39	40484.67	40889.23	1687.92	42577.15
सामाजिक सेवाएं												
5. आवासन	11.16	...	11.16	17.00	...	17.00	17.00	...	17.00	15.00	...	15.00
6. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	246.59	246.59	...	393.99	393.99	...	250.00	250.00	...	296.68	296.68
जोड़-सामाजिक सेवाएं	11.16	246.59	257.75	17.00	393.99	410.99	17.00	250.00	267.00	15.00	296.68	311.68
कुल जोड़	33067.67	1577.21	34644.88	38859.36	2238.62	41097.98	38379.28	2372.39	40751.67	40904.23	1984.60	42888.83

1.01. **सीमा शुल्क का संग्रहण:** इसमें स्थापना और सीमा शुल्क स्कंध के अन्य व्यय, सीमा शुल्क कल्याण कोष में अंतरण और अन्य विभाग को भुगतान से संबंधित प्रावधान आते हैं।

1.02. **सीमा शुल्क का स्थापना खर्च:** तस्करी रोधी उपकरणों, कंटेनर स्कैनर्स, मरीन फ्लीट और एक्सबीआईएस आदि की खरीद पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया है। सीमा शुल्क संरचनाओं के संबंध में पूंजीगत प्रकृति के स्थापना व्यय के लिए भी प्रावधान किया गया है।

- 2.01. **केंद्रीय उत्पाद शुल्क / केन्द्रीय माल और सेवा कर का संग्रहण:** यह प्रावधान केंद्रीय माल और सेवा कर संगठन के स्थापना खर्च, जिसमें केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, एकीकृत वस्तु और सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली पर आने वाले अन्य खर्च के लिए है।
- 2.02. **उत्पाद शुल्क /केन्द्रीय माल और सेवा कर का स्थापना खर्च:** यह प्रावधान मुख्य रूप से स्थापना और निष्पादन प्रबंधन, लेखा-परीक्षा, प्रणाली एवं डेटा प्रबंधन, नासिन, सतर्कता, प्रचार एवं जनसंपर्क निदेशालय, कर दाता सेवा निदेशालय, माल एवं सेवा कर निदेशालय, माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय, सेटलमेंट कमीशन पर अन्य खर्च के लिए किया गया है।
- 2.03. **आवास - रख-रखाव और मरम्मत:** यह प्रावधान विभागीय स्वामित्व वाले आवासीय भवनों के रखरखाव और मरम्मत के लिए है।
- 2.04. **बने बनाए मकानों की खरीद-कार्यालय भवन:** इसमें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड से संबंधित रेडी- बिल्ड कार्यालय भवन और भूमि की खरीद के लिए तथा कार्यालय भवनों के निर्माण आदि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- 2.05. **बने बनाए मकानों की खरीद-आवासीय भवन:** इसमें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड से संबंधित रेडी- बिल्ड आवासीय भवनों और भूमि की खरीद तथा आवासीय मकानों के निर्माण आदि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- 2.06. **सीजीएसटी का स्थापना व्यय:** सीजीएसटी संरचनाओं के संबंध में पूंजीगत प्रकृति के स्थापना व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।
4. **बकायों का एकमुश्त भुगतान:** अन्य स्क्रिप आधारित योजनाओं के बकाया के एकमुश्त भुगतान के लिए प्रावधान किया गया है
5. **निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट (आरओडीटीईपी):** निर्यातित उत्पाद स्क्रिप आधारित योजनाओं पर शुल्कों और करों की छूट के लिए प्रावधान किया गया है।
6. **राज्य और केन्द्रीय करों और उगाही पर छूट (आरओएससीटीएल):** राज्य और केंद्रीय करों और उगाहियों पर छूट के लिए प्रावधान किया गया है।